

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)**

**आदेश**

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 616 दिनांक 01.06.2023 द्वारा दो विशेष सर्वेक्षण अमीनों यथा श्री अरविन्द चौधरी एवं श्री राजेश कुमार रौशन के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत निदेशालय आदेश संख्या 685 दिनांक 17.03.2022 में वर्णित पितृत्व अवकाश संबंधी प्रावधान के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या – 2 में अंकित विशेष सर्वेक्षण अमीनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति स्तम्भ संख्या – 6 में अंकित तिथि से प्रदान की जाती है :-

क्र०	विशेष सर्वेक्षण कर्म का नाम एवं पदनाम	आईडी	प्राप्त अनुशंसा (पत्रांक/दिनांक)	अवकाश का प्रकार	स्वीकृत अवकाश की तिथि	कुल दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अरविन्द चौधरी विशेष सर्वेक्षण अमीन	AEN04050	616 01.06.2023	पितृत्व अवकाश	06.02.2023 से 20.02.2023 तक	15 दिन
2	श्री राजेश कुमार रौशन विशेष सर्वेक्षण अमीन	AEN04131		पितृत्व अवकाश	02.05.2023 से 16.05.2023 तक	15 दिन

2. बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत अवकाश के विरुद्ध मानदेय भुगतान करने से पूर्व अपने स्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

Signed by Jai Singh

Date: 15-09-2023 10:32:46

**निदेशक**

भू-अभिलेख एवं परिमाण

**प्रतिलिपि :-**

- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।